

www.jagran.com



वार्ता करते गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल।

‘कंपनीज एक्ट में संशोधन से उद्यमियों की बढ़ी परेशानी’

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कंपनीज एक्ट 2013 में किए गए कुछ संशोधन से उद्यमियों की परेशानी बढ़ी है। इसको लेकर गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की।

जीएमए के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने कंपनीज एक्ट में बदलाव किया। साथ ही नए प्रतिबंध भी लगा दिए। मगर इनको लेकर व्यापार जगत में काफी रोष है। एसोसिएशन ने इन्हें हटाने की मांग भी की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सितंबर 2014 से जून 2015 तक विभिन्न अधिसूचनाओं के जरिए कई रियायतें दी

हैं, लेकिन वो रियायतें भी पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार से उम्मीद है कि उन सभी कंपनीज में जिनमें नॉन प्रमोटर पार्टिसिपेशन इक्विटी नहीं है, वहां रिलेटेड व एसोसिएटेड पार्टी से पैसे व लोन संबंधित स्थिति को पुराने एक्ट के तहत ही रखे। कंपनी निदेशक के जरिए उधार फंड कंपनी में लाने की सुविधा दी जाए। इसकी सही घोषणा भी हो। निदेशक ने जो फंड उधार लिया गया हो, वह शेयर पूंजी के समान नहीं समझा जाए। इस मौके पर एजीक्यूटिव डायरेक्टर विनय गुप्ता, धुरेंद्र गोयल, सीए अनिल अग्रवाल, मुकुल गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे।

नेशनल रफ्तार

आपकी आवाज, आपके साथ

साहिबाबाद, दिल्ली, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, हापुड़ में एक साथ प्रसारित



नवभारत टाइम्स

NBT

Ghaziabad Times

SUNDAY, 14 JUNE 2015

| ADVERTORIAL, ENTERTAINMENT PROMOTIONAL FEATURE

masalamix OF INDIA

उद्योगों
पर लगी
बंदिशें
खत्म हों:
अरुण
अग्रवाल

■ एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद: गाजियाबाद मैनेजमेंट असोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में केन्द्र सरकार ने कंपनी एक्ट में कई अच्छे संशोधन तो किए हैं, मगर इससे न तो मेक इन इंडिया योजना को सफल बनाया जा सकता है और न ही उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भी उद्योगों पर कई प्रकार की बंदिशें हैं, जिनके कारण चाहकर भी उद्यमी अपने उद्योगों को आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसी ही एक बंदिश डिपोजिट को लेकर है। ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर्स के अलावा किसी अन्य का पैसा नहीं लगा है, उसमें डिपोजिट को लेकर छूट नहीं दी गई है। प्रमोटर न तो पैसे



मेला प्लाजा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस

निकाल सकता है और ना ही जमा कर सकता है। इस बंदिश को खत्म किया जाना चाहिए और पैसा लेने-देने की पूरी छूट मिलनी चाहिए।

दैनिक प्रलयकर



गाजियाबाद, नई दिल्ली, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), दादरी, पिलखुवा, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रसारित

गाजियाबाद शनिवार 13 जून 2015 मूल्य: 2.00 रुपया

एक्ट में बदलाव नहीं हुआ तो उद्योग धंधे होंगे बंद: अरुण



गाजियाबाद। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कम्पनीज एक्ट 2013 से जहां बड़े उद्योगपति घरानों को हित पहुंचाया जा रहा है वहीं, मध्यम एवं लघु उद्योग धंधे बंदी के कगार पर हैं। यदि इस कानून में शीघ्र परिवर्तन नहीं किए गए तो छोटे उद्यमियों को अपने उद्योग धंधे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, के अध्यक्ष अरुण कुमार ने एक प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नए एक्ट

में वर्तमान केन्द्र सरकार ने कई ऐसे नए संशोधन कर दिए हैं जिससे लघु एवं मझौले उद्योगों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। श्री कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार इस एक्ट में यदि शीघ्र बदलाव नहीं लाती तो उनके सामने उद्योग धंधों को बंद करने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं होगा।

प्रेसवार्ता के दौरान एग्ज्यूक्यूटिव डायरेक्टर विनय गुप्ता, धुरेन्द्र कुमार गोयल कार्यकारिणी सदस्य एवं सीए अनिल अग्रवाल मौजूद रहे।

न्यूज डायरी**कंपनी एवट में बदलाव को वापस लेने की मांग**

गाजियाबाद। गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (जीएमए) ने कंपनी एवट -2013 में किए बदलाव को वापस लेने की मांग की है। साथ ही ऐसी कंपनी जिसमें नॉन प्रमोटर पार्टिसिपेशन इक्विटी नहीं है, वहां पर पैसे लेने अथवा लोन देने संबंधित स्थिति को पुराने एवट अनुसार रखा जाए। जीएमए के एजीक्यूटिव डायरेक्टर विनय गुप्ता, अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, धुरेंद्र गोयल, अनिल अग्रवाल व मुकुल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने कंपनी एवट में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों से व्यापारी और उद्योगपति परेशान हैं। सरकार ने कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। वइसके अलावा डायरेक्टर्स के माध्यम से उधार फंड को कंपनी में लाने की सुविधा भी जाए। उधार फंड को शेयर कैपिटल के बराबर न समझा जाए। डेविडिएशन की दर हर कंपनी के लिए अलग-अलग है।